कार्यालय जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट।

सूचना

जनपद न्यायालयों एवं अधिकरणों में यू0पी0 ई–फाईलिंग रूल्स के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–03/2021/1846/सात-न्याय-2-2020-179 जी/2020 लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2021 के कम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ई–फाइलिंग दिनांक 10.03.2021 से प्रभावी करते हुए माननीय न्यायालय के पत्रांक 3494 ई कोर्ट/ इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2023 द्वारा कियान्वयन संबंधी निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसके अनुपालन में ई–फाइलिंग 3.0 का प्रारम्भ जनपद न्यायालय चित्रकूट मुख्यालय में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से किया जा चुका है। ई–फाइलिंग के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों के कम में जिला मुख्यालय, वाह्य न्यायालय मऊ तथा ग्राम न्यायालय मानिकपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिवक्तागण को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। वर्तमान ई–फाइलिंग वर्जन 3.0 के संबंध में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अधिवक्तागण को ई–फाईलिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा सभी हितधारक **https://filing.ecourts.gov.in/pdedev/** के माध्यम से अपने वादों की ई–फाईलिंग निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कर सकते हैं।

इसकी समस्त जानकारी श्री अनुराग जायसवाल, सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

Vikas Kumar 11/10/23
(विकास कुमार– I)
जनपद न्यायाधीश
चित्रकूट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय चित्रकूट को समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हेतु।
2. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, चित्रकूट को समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित कराते हुए इच्छुक अधिवक्तागण के प्रशिक्षण हेतु सूची कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय चित्रकूट में उपलब्ध कराने के संबंध में।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जनपद के अन्तर्गत लगाए जाने वाले विधिक साक्षरता शिविरों में ई–फाइलिंग की प्रक्रिया से आम जनमानस को अवगत कराने हेतु।
4. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सभी सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु।

11.10.2023
प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, चित्रकूट।